बिन्दु क्रमांक 02.

अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकार और कर्त्तव्य

- संस्थान में निम्नलिखित प्राधिकारी है

  01. साधारण परिषद

  02 कार्य –परिषद

  03 विद्या–परिषद

  04 वित्त समिति ;

  05 ऐसी अन्य समितियां या निकाय जिन्हें कि विनियमों द्वारा संस्थान के प्राधिकारी होना धोषित किया जावें;

साधारण परिषद की शक्तियां और कार्य :–

1 इस अधिनियम के उपबधों और संस्थान के विनियमों के अध्यधीन रहते हुये ,साधारण परिषद निर्णय लेने वाली सबसे बडी निकाय होगी। जो संस्थान के उददेश्यों की प्राप्ति के लिए समस्त आवश्यक कार्यवाही करेंगी;

2. उपरोक्त उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, साधारण परिषद् संस्थान के कामकाज और क्रियाकलापों को चलाने और प्रंबधन करने के लिए निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग तथा निम्नलिखित कृत्यो का निर्वहन करेगी,

(क) संस्थान के कार्यकलापों और कामो का समय समय पर पुनर्विलोकन ;

(ख) संस्थान की व्यापक नितियां तथा कार्यक्रम बनाना तथा उनका पुनर्विलोकन करना और संस्थान के सुधार तथा विकास के लिये उपाय सुझाना;

(ग) संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक बजट, वार्षिक लेखा, और संपरिक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और उन्हें अनुमोदित करना ;

(ध) संस्थान से संबधित सभी मामलों में एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करना ;

(ड.) ऐसे विनियम बनाना जैसा साधारण परिषद समय समय पर संस्थान के क्रियाकलापों को विनियमित करने और उसके प्रंबधन हेतु आवश्यक समझे और उन्हें परिवर्तित उपातंरित और विखण्डित करना;

(च) संस्थान के समस्त प्राधिकारियों, अधिकारियों ,और निकायो को मॉनिटर करना, उनका पर्यवेक्षण करना तथा उन्हें नियंत्रित करना ;

(छ) अपनी समस्त या किन्ही शक्तियों को संस्थान के चेयरमेंन , निदेशक या किसी प्राधिकारी या समिति या किसी उपसमिति या अपने किसी एक या अधिक सदस्यों को अथवा किसी कर्मचारी को प्रत्यायोजित करना ; और

(ज) ऐसे अन्य कृत्य करना, जो वह संस्थान के दक्षतापूर्ण कार्यकरण और प्रशासन के लिए आवश्यक समझे;

• कार्यपरिषद के कार्य :–

01. कार्यपरिषद संस्थान की मुख्य कार्यकारी निकाय होगी।

02. संस्थान का प्रशासन, प्रंबधन तथा नियंत्रण और उसकी आय कार्यपरिषद में निहित होगी। जो संस्थान की संपत्ति तथा निधियों को नियंत्रित और प्रशासित करेगी.

• विद्या परिषद के कार्य :–

01. विद्या परिषद संस्थान की विद्या संबधी निकाय होगी और इस अधिनियम और विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए उसे संस्थान के शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा मानकों पर नियंत्रण रखने तथा सामान्य विनियमन की शक्ति होगी और वह इन मानको को बनाये रखने के लिये भी उत्तरदायी होगी। और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी, जो उसे इस अधिनियम या विनियमों द्वारा प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं और उस यह अधिकार होगा कि वह विद्या संबधी समस्त मामलों पर र्कापरिषद् को सलाह दें।

• वित्त समिति के कार्य :–

1. संस्थान का वार्षिक बजट का परीक्षण और उसकी संपरीक्षा करना और उसे कार्यपरिषद् को प्रस्तुत करना तथा वित्तिय मामलो में कार्यपरिषद् की सिफारिश करना;
2. नवीन व्ययों के लिए समस्त प्रस्तावों पर विचार करना और कार्यपरिषद् की सिफारिश करना;
3. लेखाओं के नियतकालिक विवरणों पर विचार करना और संस्थान की वित्तीय स्थिति का, समय –समय पर ,पुनर्विलोकन करना और पुनर्विनियोजन विवरणों तथा संपरिक्षा रिपोर्टो पर विचार करना और कार्यपरिषद को सिफारिश करना;
4. संस्थान पर प्रभाव डालने वाले किसी वित्तीय विषय पर या तो स्वप्रेरणा से या कार्यपरिषद या संस्थान के चेयरमेन द्वारा निर्देश किया जाने पर अपने विचार प्रस्तुत करना और कार्यपरिषद को सिफारिश करना ;

संस्थान के निम्नलिखित अधिकारी होगे, अर्थातः–

01. संस्थान का चेयरमेन;
02. निदेशक; **और**
03. ऐसे अधिकारी जो विनियमों द्वारा विहित किये जाएं

- संस्थान का चेयरमेन,

(1) एक ख्याति प्राप्त संस्कृत विद्धान को इस निमित्त बनाये गए विनियमों के अनुसार साधारण परिषद् के प्रेसीडेन्ट द्वारा संस्थान के चेयरमेन के रूप में नियुक्त किया जाएगा.

(2) चेयरमेन उस तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा जिस तारीख को वह पद धारण करता है या जब तक वह पैंसठ वर्ष की आयु, पूरी नहीं कर लेता है इनमें से जो भी पूर्वतर हो और पैंसठ वर्ष की आयु, उच्चतर आयु सीमा के अध्यधीन रहते हुए पश्चात्वर्ती, अवधि के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र होगा,

(3) चेयरमेन की सेवा शर्ते तथा कृत्य इस संबंध में बनाए गए विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएंगे, परंतु वह पर पद जब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न हो जाए और अपना पद धारण न कर ले, किन्तु ऐसी कालवधि छह मास से अधिक की नही होगी.

(4) चेयरमेन, संस्थान का प्रमुख कार्यकारी और शैक्षणिक अधिकारी होगा, और चेयरमेंन का यह कर्तव्य होगा, कि वह यह देखे कि इस अधिनियम और विनियमों का निष्ठापूर्वक पालन हो रहा है,

(5) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, संस्थान के कारबार से उद्‌भूत होने वाली किसी आपात स्थिति में जिस पर चेयरमेन की राय में शीघ्र कार्रवाही की जाना अपेक्षित है, तो वह ऐसी कार्रवाही करेगा जैसी कि वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात् कार्यपरिषद् को उसके आगामी सम्मिलन में उसकी कार्रवाही के पृष्टिकरण के लिए रिपोर्ट करेगा :

परंतु चेयरमेन द्वारा की गई कार्रवाही से संस्थान तीन मास से अधिक की अवधि के लिए कोई आवर्ती व्यय करने के लिये प्रतिबद्ध नहीं होगा :

परंतु यह भी कि इस शक्ति का विस्तार विनियमों में संशोधन या नियुक्तियों से संबंधित किसी विषय पर नहीं होगा.

(6) यदि चेयरमेंन की राय में संस्थान के किसी प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय की किसी कार्यवाही के संस्थान के हितों के प्रतिकूल होने की संभावना है, तो वह उसके कारणों को लेखबद्ध करेगा और मामला साधारण परिषद् को निर्दिष्ट करेगा और संबंधित प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय को इस प्रकार सूचित करेगा जहां पर संबंधित के विनिश्चय को तब तक प्रभावी नहीं किया जाएगा जब तक कि साधारण परिषद् द्वारा मामले का विनिश्चय न कर दिया जाए.

(7) यदि, किसी समय किए गए अभ्यावेदन पर या अन्यथा और ऐसी जांच

कर लेने के पश्चात्, जैसी कि आवश्यक समझी जाए, साधारण परिषद् के प्रेसीडेन्ट को यह प्रतीत होता है कि संस्थान का चेयरमेन –

(क) इस अधिनियम या विनियमों द्वारा या उनके अधीन उस पर अधिरोपित किए गए कर्तव्य का निर्वहन करने में असफल रहा है; या

(ख) संस्थान के उद्देश्यों या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति में उसने कार्य किया है; या

(ग) संस्थान के कार्यकलापों का प्रबंध करने में असमर्थ है, तो प्रेसीडेंट इस तथ्य के होते हुए भी कि चेयरमेन की पदावधि का अवसान नहीं हुआ है,

- **लेखा तथा संपरीक्षा,**

(1) संस्थान के लेखे ऐसी तारीख के पूर्व और ऐसे अंतराल पर तथा ऐसी रीति में तैयार किए जाएंगे जैसा कि विनियमों द्वारा विहित किया जाए.

(2) संस्थान के लेखाओं की संपरीक्षा संस्थान द्वारा नियुक्त किए गए संपरीक्षक द्वारा की जाएगी ओर संपरीक्षक की संपरीक्षा फीस संस्थान द्वारा, समय–समय पर नियत की जाएगी.

(3) जैसे ही संस्थान के लेखाओं की संपरीक्षा हो जाती है, वैसे ही संस्थान संपरीक्षित लेखाओं की एक प्रति संपरीक्षा रिपोर्ट और तुलन–पत्र के साथ राज्य सरकार को ऐसी रीति में भेजेगी जैसी कि विनियमों द्वारा विहित की जाए.